Criminal Misc. Cases 131/2026

IN THE COURT OF
Addl. District Judge Court No. 2
AT, Unnao
(Presided Over by Ankita Shukla)
UPUN010017662026

Criminal Misc. Cases 131/2026

प्रदीप कुमार.....बनाम.....जय सिंह आदि।

दिनांक- 30.06.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. मे कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र स्व० राम सिंह ग्राम मकूर, थाना अजगैन, जिला उन्नाव का निवासी है तथा चमार जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी ने दिनांक 07.01.2019 को थाना अजगैन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा-323, 504, 342 आई०पी०सी० व 3 (1)द, 3(1) ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट में अभियुक्तगण राजकुमार निवासी ग्राम धाराखेड़ा व ग्राम प्रधान जय सिंह यादव निवासी ग्राम मकूर के विरूद्ध पंजीकृत कराया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमें में सुलह का दबाव बनाने के लिये उपरोक्त जय सिंह व राजकुमार द्वारा अपने साथियो व गुर्गो बब्लू, बदलू, दानवीर, आशीष यादव, राज व आशीष यादव की पत्नी निवासीगण ग्राम मकूर के साथ मिलकर प्रार्थी व प्रार्थी की माँ कोमल व प्रार्थी की बहन राधा को बुरी तरीके से मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है, जब से प्रार्थी ने उपरोक्त मुकदमा जय सिंह व राजकुमार के विरूद्ध लिखाया है। प्रार्थी व प्रार्थी की बहन व माँ का उपरोक्त जय सिंह व राजकुमार व उसके उपरोक्त साथी व गुर्गे जीना हराम किये है। प्रार्थी के ऊपर जानलेवा हमला प्रार्थी की बहन के ऊपर जानलेवा हमला एवं प्रार्थी की माँ के ऊपर प्राणघातक हमला व तरह-तरह से प्रताड़नायें जैसे घर के पास भूसी जमा कर देना मरा हुआ कुत्ता आदि जानवरो के सड़े अंग व कूड़ा-कचड़ा आदि फेंक देना व घर पर ईट-पत्थर फेकना प्रार्थी की पक्की खड़ी फसल को आग लगाकर फूक देना रास्ता रोककर धमकाना घर के अन्दर घुसकर जानलेवा हमला करना बन्धक बनाकर प्रार्थी को बुरी तरीके से लात घूसो व डण्डो, कोड़ा से मारना पीटना आदि तरीको से अनवरत् मुकदमा लिखने के पश्चात् अभी तक उपरोक्त जय सिंह, राजकुमार, बदलू, बब्लू, दानवीर, आशीष यादव, राज व आशीष यादव की पत्नी द्वारा बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे प्रार्थी का भविष्य चौपट हो गया है। प्रार्थी की पढ़ाई-लिखाई छूट गई, ग्रेजुएशन आदि शिक्षा पूरी नहीं हो पायी। प्रार्थी नौकरी की तैयारी कर रहा था इसी प्रताड़ना के चलते नौकरी नहीं लग पायी। दिनांक 25.08.2020 की रात्रि लगभग 12:00 बजे दानवीर ने प्रार्थी की बहन पर घर के अन्दर घुसकर जान से मारने की नीयत से हमला कर गला दबाया गया एवं माँ बहन से बुरी तरीके से

मारपीट भी की एवं जाति सूचक गालियाँ देकर अपमानित किया। प्रार्थी व प्रार्थी की माँ व प्रार्थी की बहन उपरोक्त लोगो की प्रताड़ना से डिप्रेशन में है यह सभी लोग आपराधिक षडयन्त्र रचकर प्रार्थी व प्रार्थी की माँ व प्रार्थी की बहन की हत्या करना चाहते है व पुलिस से मिल कर बुरी तरीके से प्रार्थी व प्रार्थी की माँ व प्रार्थी की बहन को प्रताड़ित कराय गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी न्याय पाने के लिये दर-दर भटकता रहा व थाने एवं अन्य उच्चाधिकारियो को कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिए परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन लोगो का समाज में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। प्रार्थी व प्रार्थी की माँ व बहन का जीवन नर्क से बदतर बना दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है इन सभी लोगो से प्रार्थी व प्रार्थी की माँ व बहन को हर समय जान माल का खतरा बना है। यह लोग जातिगत गालियाँ देकर बराबर हैरान परेशान करते है। प्रार्थी ने उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियो को जरिये पंजीकृत डाक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2026 को भेजे जिसकी रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, किन्तु अब तक थाना पुलिस द्वारा उपरोक्त लोगो के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया इस कारण विवश होकर प्रार्थी न्याय पाने के लिए श्रीमान् जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष अजगैन, उन्नाव को प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर घटना की विवेचना किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किये गये है।

संबंधित थाना अजगैन से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार प्रा० पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकाश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1)**

एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Of course, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 25.08.2020 को समय रात्रि 12 बजे उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी को जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज, मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्त के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदक प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 20.08.2026 को पेश हो।

दि. 30.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2